शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

संख्या:43 / रा0ग्रा0रो0गा0यो0 / ग्रा0वि0वि0 / 05

प्रेषक,

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी, धम्पावत एवं चमोली

ग्राम्य विकास विभाग: देहरादून: दिनांक:2) जनवरी, 06

विषय:– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के कियान्वयन बावत।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के कियान्वयन बावत भारत सरकार से समय–समय पर प्राप्त निर्देशों के कम में शासन स्तर से पत्र संख्या 89 / रा0ग्रा0रो0गा0यो0 / ग्रा0वि0वि0 / 05 दिनांक 3–12–2005, 1018 / रा0ग्रा0रो0गा0यो0 / ग्रा0वि0वि0 / 05 दिनांक 2–1–2006 तथा पत्र संख्या 19 / रा0ग्रा0रो0गा0यो0 / ग्रा0वि0वि0 / 05 दिनांक 16–1–2006 द्वारा सुस्पष्ट निर्देश यद्यपि जारी किये गये हैं तथापि दिनांक 2–2–2006 से ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरों के पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जाना है जिसके लिये संलग्न समय सारिणी के अनुसार सभी आवश्यक तैयारियॉ सुनिश्चित करा ली जाय ।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 30–1–2006 को पूर्वान्ह में 11 बजे से 12 बजे के मध्य तीनों जनपदों की में की गयी तैयारियों की समीक्षा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी। कृपया समयबद्ध तैयारियॉ सम्पन्न कर आप स्वंय मुख्य विकास अधिकारी सहित उपस्थित रहें।

भवदीया,

संलग्नः– समय सारिणी

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुश्रवण हेतुः–

1. मण्डलायुक्त, कुमायूँ / गढ़वाल, उत्तरांचल।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तरांचल पौड़ी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को महोदय के अवलोकनार्थ।
4. अधिशासी निदेशक, उत्तरांचल ग्राम विकास संस्थान, रूद्रपुर, उ0सि0नगर।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल को दिनांक 30–1–2006 को पूर्वान्ह 11 से 12 बजे के मध्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु स्लौट उपलब्ध काने हेतु।

(विभा पुरी दास)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु समय सारिणी

	क्रियाकलाप	समय सीमा
	पंचायत पदाधिकारियों, सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों का अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम	20–1–2006
	योजना के उद्देश्यों, गारन्टी के क्रियान्वयन पद्धति एवं लाभों का प्रचार–प्रसार	20–1–2006 तक एवं तद्पश्चात निरन्तर
	फार्मों, प्रपत्रों एवं पंजिकाओं की छपाई एवं उपलब्धता • मुद्रण कार्य • विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर तक उपलब्धता • जॉब कार्डों का कोडिंग कार्य	 20–1–2006 28–1–2006 31–1–2006 से निरन्तर
	ग्राम सभा की खुली बैठक जिसके ऐजेण्डे में योजना की व्यापक जानकारी, पंजीकृत परिवारों को अनुमन्य विधिक गारन्टी एवं सुविधाओं से अवगत किया जाना, क्रियान्वयन के लिये विचार विमर्श, प्राथमिकताओं के अन्तर्गत योजनाओं का अभिज्ञान आदि सम्मिलित हों (हिन्दी में मुद्रित समस्त प्रचार सामग्रियाँ वितरित की जाय)।	26–1–2006
	प्रमुख सचिव एवं आयुक्त द्वारा वीडियो काम्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीनों जनपदों की तैयारी की समीक्षा	30–1–2006 पूर्वाह्न 11:00 से 12:00 बजे के मध्य
	ग्राम पंचायत स्तर तक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता	31–1–2006
	ग्राम सभा द्वारा संस्तुत कार्यों के सापेक्ष अधिनियम की प्राथमिकताओं के आधार पर शैल्फ ऑफ प्रौजेक्टस का निर्माण (आगणन सहित)	31–1–2006
	प्रत्येक ग्राम पंचायत में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना की कार्ययोजना में स्वीकृत पर्याप्त संख्या में कार्य यथास्थिति चालू रखे जाय अथवा आरम्भ किये जाय।	1–2–2006 एवं लगातार
	ग्राम सभा की खुली बैठक जिसमें अधिनियम के शुभारम्भ के साथ इच्छुक ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण प्रारम्भ किया जाना एवं मा0 मुख्यमंत्री जी की वीडियो कान्फ्रेंसिंग।	2–2–2006
	पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की समीक्षा/परीक्षण	20–2–2006 तक
	जॉब कार्डों का निर्गमन	28–2–2006
	प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियाँ	28–2–2006
	अतिरिक्त कार्मिकों एवं सेवाओं की उपलब्धता	28–2–2006

जॉब कार्ड के निर्गत होने पर पंजीकृत परिवार के वयस्क सदस्य को विधिक रूप से रोजगार हेतु न करने का अधिकार है। तदनुसार रोजगार की वैधानिक गारन्टी इसी स्तर से प्रभावी होगी। इस ी को लागू करने के लिये यद्यपि 14 दिवस की अवधि उपलब्ध है परन्तु आवेदन करने के साथ ही र उपलब्ध कराया जाना श्रेयस्कर होगा। 15 दिवस के भीतर अथवा अग्रिम प्रार्थना पत्र की स्थिति में ोथि जिस दिन से रोजगार चाहा गया है रोजगार उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में बेरोजगारी राज्य सरकार द्वारा दिया जाना होगा। बेरोजगारी भत्ता दिये जाने से बचा जाना होगा।